न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 10/2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00023

अपीलांटगण :–
1. ककुडी पुत्री सरूपाराम, पत्नी नेमाराम जाति भाम्बी(मेघवाल), निवासी चोटीला, तहसील रोहट जिला पाली हाल पिपलीया की ढाणी तहसील रोहट जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :–
1. कमला पुत्री सरूपाराम जाति भाम्बी (मेघवाल) निवासी चोटीला तहसील रोहट जिला पाली
2. महेश कुमार पुत्र हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65, महेश नगर, बी ब्लॉक वार्ड नंबर 15 जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर
3. भूमिधारी तहसीलदार रोहट , तहसील रोहट जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित उपस्थित
अधिवक्ता रेस्पाडेंट श्री दौलत मकवाना उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :–27.01.2021

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 111 ग्राम सवाईपुरा पटवार हल्का चोटिला तहसील रोहट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार रोहट से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। तथा बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि वे अपील में अंकित तथ्यों को प्रेस नहीं करना चाहते है तथा अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक मे रजिस्टर्ड हकतर्कनामा निस्पादित कर देने से यह अपील रेस्पोडेंट के हक में निर्णित की जाती है तो वे सहमत है।

वकील रेस्पोडेंट ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील आराजी ग्राम सवाईपुरा के खसरा नंबर 273/4 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम स्थित है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता सरूपा के नाम खातेदारी दर्ज थी सरूपा की मृत्युपर्यन्त नामान्तरकरण अकेली कमला पुत्री सरूपा पत्नी नेमाराम जाति भांबी (मेघवाल) निवासी चोटीला तहसील रोहट के नाम दर्ज कर दी जिसे निरस्त कराने हेतु यह अपील पेश की गई है। वकील रेस्पोडेंट के कथनानुसार यह सही है कि सरूपा के दो पुत्रियां अपीलांट ककूडी तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 कमला पुत्री सरूपा थी। उक्त नामान्तरकरण दोनों के नाम दर्ज करना चाहिए था। लेकिन ककू पुत्री सरूपा कौम भाम्बी द्वारा कमला पुत्री सरूपा के हक में हकतर्कनामा उपपंजियक रोहट के समक्ष निस्पादित कर दिया जाने से ककूड़ी पुत्री सरूपा अकेली सरूपा के खातेदारी आराजी की हकदार हो गयी। उक्त सभी तथ्यों का इल्म हकतर्कनामा निष्पादित करते समय ही था जो सन् 2010 में सम्पादित किया गया है इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा सन् 2018 में यह अपील प्रस्तुत की गई है जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। तथा अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में रजिस्टर्ड हकतर्कनामा निस्पादित कर दिए जाने से भी उसका हक अधिकार जैर अपील आराजी में नहीं रहा अकेली कमला का ही हक अपने पिता की खातेदारी भूमि में हा जाता है इसके बावजूद भी यह अपील प्रस्तुत की गई जो निरस्त फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:45:57 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के हक में पंजीबद्ध हकतर्कनामा उपंजियक रोहट के कार्यालय में निस्पादित

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

कर दिए जाने से रेस्पोडेंट कमला का हक अधिकार जैर अपील आराजी में शेष नहीं रह जाता है ऐसी स्थिति में हकतर्कनामा निस्पादित करने के 7 वर्षों बाद अपील पेश करने का विधिक औचित्य नहीं रह जाता है हकतर्कनामा निष्पादित करने के बाद यदि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 03.01.2005 निरस्त भी किया जाता है तो हकर्तकनामें के आधार पर कमला अकेली ही जैर अपील आराजी की हकदार रहेगी तथा यह जानकारी अपीलांट ककूड़ी को थी फिर भी यह अपील पेश की गई जो सारहीन व तथ्यहीन होने से विधी सम्मत नहीं है। अपीलांट ककूड़ी द्वारा हकतर्कनामा सन् 2010 में ही रेस्पोडेंट कमला के हक में निष्पादन के समय से जानकारी होना सिद्ध होता है एवं उक्त जानकारी होने के बावजूद भी यह आधारहीन अपील पेश की गई जिसको स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट उनके अधिवक्ता की सहमति से निरस्त की जाती है तथा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 03.01.2005 ग्राम सवाईपूरा पटवार हल्का चोटिला जो तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनाँक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:45:57 IST
Reason: SelfAttested